पश्चिम मध्य रेल

महाप्रबंधक कार्यालय
जनसम्पर्क विभाग
जबलपुर

पश्चिम मध्य रेल यात्रियों से अपील करता है कि यात्रा के दौरान विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर ना चले और धूम्रपान ना करे

भारतीय रेल में आग से होने वाली दुर्घटनाओं में कुछ दुर्घटनाएं रेलगाड़ी में धूम्रपान एवं ट्रेन में विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने के कारण हुई हैं। ऐसी दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु भारतीय रेल में संपूर्ण रेल प्रणाली में धूम्रपान ना करने तथा विस्फोटक एवं ज्वलनशील सामग्री ले जाने के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान के तहत लगातार काम कर रहा है। गौरतलब है कि पश्चिम मध्य रेल के तीनों मंडलों जबलपुर, भोपाल एवं कोटा के अंतर्गत सभी हितधारकों को जागरूक करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। हितधारकों में रेल का उपयोग करने वाले लोगों तथा पार्सल स्टाफ, लीज होल्डर और उनके स्टाफ, पार्सल पोर्टर, कैटरिंग स्टाफ तथा आउटसोर्स किए गए स्टाफ को स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों में आग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सावधानियों की जानकारी दी जा रही है। **इसके साथ ही सिगरेट की बट को रेलवे स्टेशन एवं ट्रेन में तथा कूड़ेदान में ना फेंके इसके लिए यात्रियों और जनता को जागरूक किया जा रहा है।** प्रत्यक्ष संवाद, नुक्कड. नाटक, स्टेशनों पर सावर्जनिक घोषणा प्रणाली, प्रिंट–इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन तथा सोशल मीडिया के माध्यम से धूम्रपान निषेध, रेल से ज्वलनशील सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध, एसएलआर/वीपीयू/लीज पार्सल की जांच आदि जैसे कदम उठाने के बारे में हितधारकों को जागरूक किया जा रहा है।

पश्चिम मध्य रेल के विभिन्न स्थानों (जबलपुर, भोपाल, कोटा, रानी कमलापति, होशंगाबाद, बीना, इटारसी, मदन महल, नरसिंहपुर, गाडरवारा, कटनी, कटनी मुड़वारा, इटारसी, मैहर, सतना, सवाई माधोपुर, भरतपुर आदि स्टेशनों) में समय समय पर नुक्कड़ नाटक किए गए है। स्टेशनों पर इस संबंध में बार–बार लगातार उद्घोषणा की गई। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार कराया गया, सोशल मीडिया पर टिवीटर एवं फेसबुक के माध्यम से पोस्ट डाली गई। इसके अतिरिक्त पार्सल पोटर्स, लीज होल्डर, पार्सल स्टाफ, ट्रेन पेंट्री स्टाफ, कैटरिंग स्टाफ, ओ.बी.एच.एस. (चलती हुई ट्रेन पर कार्य करनेवाले) स्टाफ आदि इन सब के साथ मीटिंग कर इस व्यापक अभियान को सार्थक बनाया गया तथा इसके साथ–साथ इस अभियान में नियम उल्लघंनकर्ताओं के विरूद्व सख्ती से कार्य करते हुए रेल अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

रेल प्रशासन यात्रियों से अपील की है की रेल परिसर एवं गाड़ी के डिब्बों में धूम्रपान न करें और ना ही किसी भी प्रकार की विस्फोटक एवं ज्वलनशील सामग्री के साथ यात्रा करें। इससे आपके साथ–साथ सहयात्री का भी जीवन खतरे में पड़ने की साथ ही रेल संपत्ति को भी नुकसान हो सकता है।

यात्रा के दौरान धूम्रपान करना, ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर यात्रा करना रेल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध भी है। ऐसा करने से आप के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है।

संख्याः पमरे/मुख्या/मुजसअधि/प्रेस विज्ञप्ति/500/2021 दिनाँक 29.11.2021

सम्माननीय संपादक

कृपया जनहित में उपरोक्त समाचार अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर सहयोग करें।

सधन्यवाद

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर